न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/155

1. हरपाल पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. सत्यनारायण
   1/2. रूपनारायण
   1/3. हीरा पिसरान हरपाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामकरण आत्मज रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. महिपाल आत्मज मोती जाति गुर्जर निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. गेन्दया उर्फ जयलाल आत्मज धन्ना जाति गुर्जर निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी
5. छोटू आत्मज देवा जाति गुर्जर निवासी जैतपुर जिला बून्दी ।
6. लादू उर्फ लाडू आत्मज देवा जाति गुर्जर निवासी जैतपुर जिला बून्दी ।

बनाम

शोजी आत्मज छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम जैतपुर तहसील नैनवा पोस्ट बामनगॉव जिला बून्दी ।

––––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,.1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् इजराय का पेश कर कथन किया कि प्रत्यर्थीगण कम 01 लगायत 08 को न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.09.1991 द्वारा पाबन्द किया गया था कि वे प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की ग्राम जैतपुर भूमि खसरा नम्बर 435 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 436 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 437 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 438 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 440 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा कुल 05 किता की कुल रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें और न ही उक्त भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल करें। उक्त निर्णय की कोई अपील नहीं की गई है इसलिए यह निर्णय दिनांक 16.09.1991 अंकित आदेश है । दिनांक 08.02.1992 को प्रत्यर्थीगण अपने हाथों में लकडियॉ लेकर प्रार्थी के के खाते एवं कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो गये । प्रार्थी ने जब उक्त निर्णय के बारे में बताया तो उन्होंने उक्त निर्णय को नहीं मानने के लिए कहा था ।

3. अतः अप्रार्थीगण कम 01 लगायत 08 द्वारा न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 16.09.91 की अवहेलना व अवमानना करने के फलस्वरूप उनकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति मकान भूमि जेवरात, बर्तन आदि को जब्त सरकार करके उन्हें उनके कृत्य के फलस्वरूप दीवानी जैल भेजा जावे व उनको कठोर सजा दी जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.09.2002 से प्रार्थना पत्र खारिज किया । इसकी अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.06.2005 से प्रकरण रिमाण्ड किया गया । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.03.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिक्रीदार का भूमि पर कब्जा रेस्टोर किये जाने के आदेश पारित करते हुए अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को संभलाये जाने के आदेश पारित किये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही पिछले 60–70 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अपीलान्ट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल कर रेस्पोडेन्ट का कब्जा दिये जाने बाबत् किसी भी न्यायालय की कोई डिक्री नहीं है । केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 16.09.1991 को पारित एकपक्षीय स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री है जो पूर्ण रूप से आधारहीन है तथा उक्त डिक्री पालना किये जाने योग्य नहीं है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत करना चाहिए था । धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों का उपयोग विचाराधीन प्रकरण में नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी डिक्री की इजराय का प्रावधान स्पष्ट तौर पर कानून में दिया हुआ है । मोरपाल आत्मज रामचन्द्र वाद में पक्षकार था तथा इसका स्वर्गवास हो जाने के बाद डिक्रीदार द्वारा इजराय में पक्षकार हटाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसका नाम हटा दिया जबकि उसके 04 पुत्र थे जो कि संयुक्त रूप से भूमि पर काबिज हैं उन्हें उक्त कार्यवाही में पक्षकार बनाये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पूर्वजों के समय से काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सन् 1992 में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट 70–80 वर्षों से इस आराजी पर काबिज है । अपीलान्ट को बेदखल कर रेस्पोडेन्ट को कब्जा देने की किसी न्यायालय की डिक्री नहीं है । दिनांक 16.09.1991 को स्थायी निषेधाज्ञा की एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी जो कि अधारहीन है और पालना किये जाने योग्य नहीं है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर दावा दायरी के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट ने बेदखली का दावा पेश नहीं किया है । धारा 151 सीपीसी के तहत अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया जा सकता । रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की गई है । रेस्पोडेन्ट ने स्वयं अपीलान्ट का कब्जा स्वीकार किया है । आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया गया था और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत कार्यवाही करें । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को अपीलान्ट ने किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई है वो अंतिम हो चुकी है और डिक्री की अनुपालना हेतु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 17, आरआरडी 2007 पेज 824, आरएलडब्ल्यू 2009 (1) (राज0) पेज 1321, एआईआर 1992 पेज 326 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । दिनांक 16.09.1991 को दावा वादी डिक्री कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि वो खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में हस्तक्षेप नहीं करें। यह निर्णय अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय की नजीर आरएलडब्ल्यू 2009 (1) (राज0) पेज 1321 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि स्थायी निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा

दर्ज निष्कर्ष दोनों पक्षकारों पर न केवल बाध्यकारी है वरन् पूर्व न्याय है और ऐसे विवाद्यक पर विचारण करने से न्यायालय को प्रतिषेध करता है । इसी निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया है कि ऐसा व्यक्ति जो काबिज नहीं है उसके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती और उसका स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पोषनीय नहीं होगा । यदि न्यायालय के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई है तो यह माना जावेगा कि दावा दायरी के दिनांक को वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा था और न्यायालय का यह निर्णय न केवल दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा वरन् पूर्व न्याय का प्रभाव रखेगा और इस बिन्दु पर न्यायालय निर्णय के उपरान्त किसी प्रकार का विचारण नहीं कर सकता है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में दिनांक 16.09.1991 को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई है तो उसका आशय यही निकलता है कि दावा दायरी के दिनांक को वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा था और अपीलान्ट के इस कथन पर कि उसका कब्जा वादग्रस्त आराजी पर दावा दायरी के पूर्व से ही चला आ रहा है, अब न्यायालय किसी प्रकार से विचारण नहीं कर सकता । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.09.1991 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही की हो ऐसा कोई कथन उनके द्वारा नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में यह निर्णय अंतिम हो चुका है । माननीय उच्च न्यायालय ने आरएलडब्ल्यू 2009 (1) राज0 पेज 1321 में धारा 151 सीपीसी के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना भी विधिक माना है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो निर्णय पारित किया है उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2017 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा